XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित
1	2	3
07.10.2011		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–51/11

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

चन्द्रानन्द सोरेन, पिता–स्व0 रामदास मांझी, साकिन–देवीनगर भंगहा, थाना–श्रीनगर, अंचल– श्रीनगर, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ....

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत मौजा–देवीनगर, खाता नं0–325, खेसरा नं0–97, रकवा–76 डिसमिल जमीन अपनी पुत्री की शादी करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

इस संबंध में अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में जमीन बिक्री करने हेतु एक वाद दायर किया गया, जिसका वाद संख्या–4/07 है। उक्त वाद में अंचलाधिकारी, श्रीनगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, श्रीनगर के पत्रांक 94, दिनांक 23.02.2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित है कि आवेदक के पास कुल जमीन मौजा–देवीनगर, खाता नं0–141, खेसरा नं0–229, 230, 231, रकवा–1.58 एकड़ एवं खाता नं0–325, खेसरा नं0–97, रकवा–0.76 एकड़ कुल–2.34 एकड़ जमीन है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2006–07 तक भुगतान है। प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात आवेदक के पास शेष कुल 1.58 एकड़ जमीन बचता है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। आवेदक अपनी लड़की की शादी करने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते है। जमीन आवेदक के नाम से जमाबन्दी दर्ज है और शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। जमीन बिहार सरकार, भूदान, भू–हदबन्दी एवं स्वत्व वाद से मुक्त है। साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा जमीन बिक्री करने हेतु अनुशंसा किये है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ